पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 9 फरवरी, 2008

"एनपीएस और सीआरए संरचना पर एक नजर" के संबंध में पीएफआरडीए और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा संयुक्त रूप से एक-दिवसीय कार्यशाला नई दिल्ली में 9 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई । इस कार्यशाला में वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ।

इस कार्यशाला का मुख्य विषय नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक मुद्दों का समाधान करना था जैसेकि एनएसडीएल द्वारा स्थापित किए जा रहे नए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) को सरकार से आने वाली सूचना का अन्तरण, भारत के लोक खाते से निधियों का पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफएम) को अन्तरण, आंकड़ों का मिलान, शिकायत निवारण और निपटान ।

इस अवसर पर बोलते हुए पीएफआरडीए के अध्यक्ष श्री डी0 स्वरूप ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है जहां औसत आयु केवल 26 वर्ष है । भारत में आश्रितता अनुपात भी विश्व के सबसे कम अनुपातों में से एक है । इस जनसांख्यिकीय स्थिति की नीतिगत आवश्यकता यह है कि देश में पेंशन सुधार शुरू करने और एक ठोस एवं सम्पोषणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का सही समय आ गया है। लेकिन यह भी सच है कि भारत बहुत तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग जिनकी संख्या आज 80 मिलियन है, अगले 18 से 20 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी । उन्होंने बताया कि पेंशन सुधारों के कार्यान्वयन में होने वाली किसी भी देरी से सुधार-प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो लाभ आज हमें प्राप्त हैं, वे व्यर्थ हो जाएंगे ।

सीआरए के रूप में एनएसडीएल और निधि प्रबंधकों के रूप मे एसबीआई, यूटीआई-एएमसी और एलआईसी का चयन दो-स्तरीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें बोलीदाताओं की तकनीकी क्षमता, उनके ट्रैक रिकार्ड इत्यादि तथा उनके द्वारा उद्धृत शुल्क एवं प्रभारों को उचित भारांश दिया गया था। इस प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप कम शुल्क एवं प्रभार निश्चित किए गए।

एनएसडीएल द्वारा स्थापित किए जा रहे सीआरए प्रचालन के 1 जून, 2008 तक शुरू हो जाने की संभावना है । यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है और एनपीएस के सफल प्रचालन के लिए बहुत महत्व रखता है । सीआरए के मुख्य कार्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपाल प्रशासन और ग्राहक सेवा संबंधी कार्य।

(ii) प्रत्येक अभिदाता को एक अनन्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रैन) जारी करना, जारी किए गए समस्त प्रैन का डाटाबेस रखना और प्रत्येक अभिदाता के प्रैन से संबंधित लेन देनों का रिकार्ड रखना ।

(iii) पीएफआरडीए और एनपीएस के अन्य मध्यवर्तियों जैसे पेंशन निधियों, वार्षिकी सेवा प्रदाता और न्यासी बैंक इत्यादि के बीच एक प्रचालनात्मक संपर्की-निकाय के रूप में कार्य करना ।

उन्होंने बताया की भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूटीआई-एसेट मैनेजमेंट कंपनी (यूटीआई-एएमसी) और जीवन बीमा निगम ने अपनी पेंशन निधियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत नई कंपनियों के रूप मे निगमित कर दिया है और उनके 31 मार्च, 2008 तक काम शुरू कर दिए जाने की संभावना है । तीनों पेंशन निधियों तीन से पांच आधार बिन्दु तक का शुल्क लेकर एनपीएस के तहत निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगी । इस समय पीएफआरडीए एनपीएस न्यास के पंजीकरण और अभिरक्षक एवं न्यासी बैंक के नियोजन की प्रक्रिया में लगा है । यह उम्मीद है कि 31 मई, 2008 तक सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस की सम्पूर्ण संरचना स्थापित हो जाएगी । जब भी एनपीएस भारत के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी, यह स्तरोन्नयन में समर्थ होगी ।

इस समय एनपीएस में केवल दो निवेश निकल्प हैं-संपूर्ण अंशदान का केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अथवा गैर-सरकारी भविष्य निधियों पर लागू निवेश संबंधी दिशानिर्देश अपनाना। मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि 15% तक के अंशदान का इक्विटी में और शेष 85% का नियत आय लिखतों में निवेश किया जा सकता है ।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने यह स्पष्टीकरण दिया कि एनपीएस पूर्ववर्ती प्रणाली के तहत दिए जा रहे लाभों का स्थान ले रही है और यह उपदान, छुट्टी भुनाने इत्यादि जैसे सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों का स्थान लेने के लिए नहीं बनाई गई । पीएफआरडीए का मत है कि पेंशन को छोड़कर, एनपीएस के तहत शामिल कर्मचारियों को उपलब्ध सेवा-निवृत्ति लाभ पूर्ववर्ती पेंशन प्रणाली के तहत अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों के समकक्ष होने चाहिए । सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कृतिक बल इस समय इन मुद्दों की जांच कर रहा है और इस संबंध में विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में लगा है ।

पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत बचतों से संबंधित कर-व्यवहार के मुद्दे का मामला सरकार के समक्ष रखा है ताकि इन्हें ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ के समकक्ष लाया जा सके । इस समय एनपीएस पर ईईटी कर व्यवस्था लागू होती है जबकि ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ ईईई व्यवस्था से शासित होते हैं । एनपीएस बचतों पर ईईटी व्यवस्था लागू करना दीर्घकालिक संविदात्मक बचतों जो निवेश के लिए दीर्घावधिक निधियां मुहैया कराती हैं, को बढ़ावा देने के बुनियादी सिद्धान्त के विरूद्ध जाता है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने लेखा महानियंत्रक और लेखांकन संगठनों के अन्य अध्यक्षों से जो अब तक एनपीएस के तहत अभिदाताओं के अंशदानों के रिकार्डों का रखरखाव कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि एनपीएस के तहत मौजूदा अभिदाताओं से संबंधित आंकड़ों का मिलान व्यष्टि अभिदाता-वार आधार पर किया जाए और 1 जून, 2008 तक सीआरए को अंतरित कर दिया जाए। इन संगठनों को तत्काल नई सीआरए प्रणाली में निकाय के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करने की जरूरत होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्तिगत आधार पर किए गए अंशदान 1 जून, 2008 से स्वीकृत किए जाएं और हिसाब में लिए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि एनपीएस के तहत अभिदाताओं को उच्च कोटि की सेवा प्रदान करने के प्रयासों में विरासत में मिले किन्हीं मुद्दों के कारण नई सीआरए को कोई समस्या पैदा न हो ।

इस मौके पर बोलते हुए एनएसडीएल के अध्यक्ष श्री सी.बी. भावे ने कहा कि उनका संगठन एनपीएस के तहत सीआरए के रूप में अधिदेशित किए जाने पर गौरान्वित है । उन्होंने विश्वास दिलाया कि एनएसडीएल निर्धारित तारीख अर्थात् 1 जून, 2008 तक सीआरए को प्रचालनात्मक बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। लेकिन उससे पहले सुलझाए जाने वाले अनेक प्रचालनात्मक मुद्दे हैं और यह कार्यशाला उसी दिशा में एक कदम है । राज्य सरकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनएसडीएल सीआरए की संरचना को लेकर उनकी किन्हीं आवश्यकताओं पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते वे पीएफआरडीए द्वारा यथानिर्धारित एनपीएस की समग्र संरचना की परिधि में हों ।

****